BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 02 फरवरी 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्यारोपी को आजीवन सश्रम कारावास व 30,000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त भूदेव पुत्र दुर्गा प्रसाद निवासी ग्राम खेड़ा थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष- 2017 में अपनी पत्नी की गला घोटकर आग लगाकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 17.06.2017 को थाना पहासू पर मुअसं- 156/2017 धारा- 302 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 20.08.2017 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 07 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 02.02.2024 को मा0 न्यायालय एफटीसी-03 बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त भूदेव को आजीवन सश्रम कारावास व 30,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री ध्रुव कुमार वर्मा व श्री भूपेन्द्र राजपूत का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर